पंचायत समिति संगडाह, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.23 से 31.03.24

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति संगडाह, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.23 से 31.03.24 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) पंचायत समिति में अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सचिव कार्यरत रहेः-

अध्यक्षः-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री तेजेन्द्र कमल	01/04/2023 से 31/03/2024

मुख्य कार्यकारी अधिकारीः-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री हरमेश ठाकुर, एस0ई0बी0ओ (अतिरिक्त प्रभार)	01/04/2023 से 21/08/2023
2	श्री चिराग शर्मा	22/08/2023 से 31/03/2024

पंचायत निरीक्षक/सचिवः-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राजेश शर्मा	01/04/2022 से 01/09/2023
2	श्रीमति श्यामा देवी, उप-पंचायत निरीक्षक (अतिरिक्त प्रभार)	02/09/2023 से 31/03/2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

पंचायत समिति संगडाह, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक में अंतर	4.2	110.25
2	रोकड़ बहियो का संधारण ई-ग्राम स्वराज (e-Gram Swaraj) पोर्टल पर न करना	4.3	116.05
3	अनुदान उपयोग हेतु शेष	6.1	222.72
4	अनुदान से व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	6.3	398.49
5	वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमानुसार न करके किया गया अनियिमित व्यय	7	464.02
6	गलत वेतन निर्धारण के कारण पंचायत सचिवों को अधिक भुगतान	8	0.87

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

पंचायत समिति कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पंचायत समिति का यह प्रथम अंकेक्षण था।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

पंचायत समिति संगडाह, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरुण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12-11-2024 से 21-11-2024 तक पंचायत समिति संगडाह के कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2023-24	09/23	07/23

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

पंचायत समिति संगडाह, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 125 दिनांक 22/11/2024 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत समिति कार्यालय से अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

4 वित्तीय स्थिति:-

4.1 पंचायत समिति संगडाह कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार पंचायत समिति की अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1** पर भी दिया गया है:-

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	24218918.97	43696346	826298	**68741562.97**	46402710	**22338852.97**
दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **परिशिष्ट-2**						**11621527.72**
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर **(₹22338852.97-₹11621527.72) परिशिष्ट-2**						**10717325.25**

4.2 ₹110.25 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 के अनुसार पंचायत समिति की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत समिति के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 को पंचायत समिति में **परिशिष्ट-2** अनुसार रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹11024709.25** के कुल अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जोकि गम्भीर अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता:-

क्रम संख्या	योजना का नाम	अंतर की राशि (₹)
1	पंचायत समिति स्व: स्त्रोत (PS-OWN Sources)	1000
2	पंचायत समिति अनुदान निधि (PS-Grant Fund)	52692
3	पंचायत समिति मानदेय निधि (PS- Honorarium Fund)	100000
4	15वां वित्त आयोग (15th FC)	1390505
5	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	9372
6	13वां वित्त आयोग (13th FC)	9471140.25
	कुल	**11024709.25**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 124 दिनांक 22/11/2024 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 बंद योजनाओं में ₹94.88 लाख की शेष राशि का समाधान न करना:- .

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 13वां वित्त आयोग (13th FC) से सम्बन्धित रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31/03/2024 को **₹9487765/- (परिशिष्ट-1)** की शेष राशि दर्शाई गई थी

जबकि यह योजना आधिकारिक रूप से बन्द हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त इस योजना से सम्बन्धित बैंक खाते भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप यह सुनिश्चित न हो सका कि पंचायत समिति द्वारा इस योजना की राशि का उचित समाधान किया गया है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 124 दिनांक 22/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त योजनाओं में पड़ी शेष राशियों का बैंक खातों से मिलान करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए व अपेक्षित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 ₹116.05 लाख की राशि से सम्बंधित रोकड बहियों का संधारण ई-ग्राम स्वराज (e-Gram Swaraj) पोर्टल पर न करना :-

विशेष सचिव, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, हि०प्र० सरकार के पत्र संख्याः पीसीएच-एचसी-(10)/2016-5072-95 दिनाँक 24.01.2018 द्वारा हि०प्र० अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर प्रियासॉफ्ट में लेखों के रख-रखाव/अद्यतन को सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण हस्तगत (Manual) तैयार किए गये लेखों/रोकड़ बही के आधार पर किया गया है जिस से सम्बन्धित खाते में दिनांक 31/03/2024 को **₹11604902.97** की राशि शेष थी।

योजना	**बैंक अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)**
पंचायत समिति स्व: स्त्रोत (PS-OWN Sources)	67565
पंचायत समिति अनुदान निधि (PS-Grant Fund)	7600647
पंचायत समिति मानदेय निधि (PS- Honorarium Fund)	417533
15वां वित्त आयोग (15th FC)	2772505.47
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	746652.5
कुल योग	**11604902.97**

पंचायत समिति द्वारा प्रियासॉफ्ट में लेखों का उचित अनुरक्षण/अद्यतन न करना एक गम्भीर आपत्तिजनक है तथा हि०प्र० पंचायती विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना है। अतः परामर्श दिया जाता है कि हि०प्र० पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अविलम्ब e-Gram-Swaraj में लेखों को तैयार व अद्यतन (Update) किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, पंचायत समिति द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार पंचायत समिति द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना तथा **परिशिष्ट-2** अनुसार पंचायत के स्वः स्त्रोत खातों में दिनाँक 31/03/2024 को **₹66565** की राशि शेष थी परन्तु सावधि जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधिक जमा में निवेश किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹222.72 लाख उपयोग हेतु शेषः-

पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट-1** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार पंचायत समिति में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2024 को **₹22272287.97** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तालिका में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 22 के अनुसार फडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित हैः-

क्रम	**योजना**	**दिनांक 31/03/2024 को रोकड़ बही अनुसार अंत शेष (₹)**
1	पंचायत समिति अनुदान निधि (PS-Grant Fund)	7547955
2	पंचायत समिति मानदेय निधि (PS- Honorarium Fund)	317533
3	15वां वित्त आयोग (15th FC)	4163010.47
4	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	756024.5
5	13वां वित्त आयोग (13th FC)	9487765
	कुल योग	**22272287.97**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124 दिनांक 22/11/2024 द्वारा पंचायत समिति को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक

कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 प्राप्त सहायता अनुदान ₹398.03 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है। पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹39802591** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है:-

क्रम संख्या	**योजना**	**वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)**
1	पंचायत समिति अनुदान निधि (PS-Grant Fund)	1346200
2	पंचायत समिति मानदेय निधि (PS- Honorarium Fund)	38456391
	कुल योग	**39802591**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124 दिनांक 22/11/2024 द्वारा पंचायत समिति को उक्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान से ₹398.49 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार **₹39848838** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

क्रम संख्या	योजना	वर्ष 2023-24 के दौरान अनुदान राशि से व्यय (₹)
1	पंचायत समिति अनुदान निधि (PS-Grant Fund)	1589678
2	पंचायत समिति मानदेय निधि (PS- Honorarium Fund)	38259160
	कुल योग	**39848838**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 124 दिनांक 22/11/2024 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमानुसार न करके किया गया ₹464.02 लाख का अनियिमित व्ययः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) अध्यादेश, 2014 अनुसार मूल अधिनियम कर धारा 134 को संशोधित करके खण्ड विकास अधिकारी को पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पंचायत निरिक्षक को पंचायत समिति का सचिव नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम की धारा 99 के उपबन्धों अनुसार पंचायत निरिक्षक पंचायत समिति के सचिव के रूप में समिति निधि का आहरण करेगा और कार्यकारी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से उसका संवितरण करगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज ने पत्र संख्या PCH-HA(1)11/2010-14201-78 दिनांक 24/05/2017 जारी करके हिमाचल प्रदेश के समस्त खण्ड विकास अधिकारीयों को पंचायत समिति के आहरण व वितरण अधिकारी की शक्तियों को पंचायत निरिक्षक को शीघ्र प्रत्यायोजित करने के आदेश दिए थे। परन्तु पंचायत समिति के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि समिति के आहरण व वितरण अधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमानुसार अभी तक भी नही किया गया था तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान **परिशिष्ट-1** अनुसार **₹46402710** का व्यय भी किया गया जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 124 दिनांक 22/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के धयानार्थ उचित करवाई हेतु लाया जाता है । अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 गलत वेतन निर्धारण के कारण पंचायत सचिवों को ₹4.17 लाख का सम्भावित अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या No. Fin-(PR)B(7)-I/2021 दिनांक 03/01/2022 द्वारा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिनांक 01-01-2016 से संशोधित वेतनमान के लाभ प्रदान किये गए है। जबकि जिला परिषद् कैडर के विभिन्न नियमित कर्मचारियों को निदेशक पंचायती राज की अधिसूचना संख्या पी०सी०एच-एच०बी-(15)01/2022-पे रिविज़न-60236-62336 दिनांक 23-09-2022 द्वारा तुरंत प्रभाव से संशोधित वेतनमान के लाभ प्रदान किये गए है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा जिला परिषद् कैडर के कर्मचारियों को दो वर्षों के नियमित सेवाकाल के उपरांत उनका वेतन उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया था जोकि उक्त अधिसूचना अनुसार जिला परिषद कर्मचारियों को देय प्रतीत नहीं होता है। परिणाम स्वरुप **परिशिष्ट- 3,4,5 व 6** के अनुसार जिला परिषद् कर्मचारियों के वेतन का गलत निर्धारण करके **₹416760** का अधिक व अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। पंचायत सचिवों को किये गए अधिक वेतन के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	परिशिष्ट संख्या	अधिक भुगतान राशि (₹)
1	श्री जगदीश चंद,पंचायत सचिव (जिला परिषद्)	3	106812
2	श्री बलबीर सिंह, पंचायत सचिव (जिला परिषद्)	4	106812
3	श्री दिनेश कुमार, पंचायत सचिव (जिला परिषद्)	5	104604
4	श्री ब्रिज मोहन,पंचायत सचिव (जिला परिषद्)	6	98532
		कुल योग	**416760**

उपरोक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 124 दिनांक 22/11/2024 द्वारा पंचायत समिति को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि आपत्तिजनक है। अत: उक्त अनियमित व अधिक भुगतान को उचित छानबीन उपरान्त तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

9 कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण व अद्यतन न करना:-

केन्द्रीय सेवा नियम (अवकाश)-1972 के नियम 26(1)(a)(i) व 29 (1) के प्रावधानानुसार, कर्मचारियों के अवकाश खातों को प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी एवं प्रथम जुलाई को दो किश्तों में अर्जित अवकाश व अर्ध वेतन अवकाश का एडवांस क्रेडिट देते हुये पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पंचायत समिति के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओ के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के संदर्भ में अवकाश खातों को पूर्ण नहीं किया गया था जोकि अनियमित है।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पदनाम	दिनांक जब खाता पूर्ण नहीं किया गया था
1	श्री रतन	पंचायत सचिव	01-12-2023
2	श्री अनिल कुमार	पंचायत सचिव	30-06-2022

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 124 दिनांक 22/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: कर्मचारी के अवकाश खाते को पूर्ण करने हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः-

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत समिति द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 124 दिनांक 22/11/2024 जारी करके सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त पोर्टल में पंचायत समिति की चल-अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार

सत्यापन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 124 दिनांक 22/11/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपति विवरणिकाः**-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्षः**- ग्राम पंचायत के लेखों के रख-रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों मे वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–2620046

का०/प्रति

1816-1819 27 MAR 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (10) 95/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर जिला सिरमौर हि0प्र0।

पंजीकृत 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगड़ाह, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–2620046

का०/प्रति

पैरा सं०-4.1,4.3,6.1,7 परिशिष्ट - 1

पंचायत समिति संगडाह तहसील संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
2023-24	24218918.97	43696346	826298	**68741562.97**	46402710	**22338852.97**

पंचायत समिति संगडाह, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अंतशेष (₹)
पंचायत समिति स्वः स्त्रोत (PS-OWN Sources)	41295	117920	1706	**160921**	94356	**66565**
पंचायत समिति अनुदान निधि (PS-Grant Fund)	7517249	1346200	274184	**9137633**	1589678	**7547955**
पंचायत समिति मानदेय निधि (PS-Honorarium Fund)	93060	38456391	27242	**38576693**	38259160	**317533**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	**6781210.47**	2949077	501609	**10231896.47**	6068886	**4163010.47**
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	298339.5	826758	21557	**1146654.5**	390630	**756024.5**
13वां वित्त आयोग (13th FC)	9487765	0	0	**9487765**	0	**9487765**
कुल	**24218918.97**	**43696346**	**826298**	**68741562.97**	**46402710**	**22338852.97**

Chief Executive Officer cum
Block Dev. Officer
Panchayat Samiti Sangrah,
Distt. Sirmaur (H.P.)

परिशिष्ट-2
पैरा संख्या - 4.2

पंचायत समिति संगडाह, तहसील संगडाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही व बैंक अनुसार अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता संख्या	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31-03-2024 को अंतशेष (₹)	अंतर (₹)
पंचायत समिति स्व: स्त्रोत (PS-OWN Sources)	यूको बैंक, संगडाह	763010001649	**66565**	67565	-1000
पंचायत समिति अनुदान निधि (PS-Grant Fund)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, संगडाह	56510102869	**7547955**	7600647	-52692
पंचायत समिति मानदेय निधि (PS-Honorarium Fund)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, ददाहू	56510115825	**317533**	417533	-100000
15वां वित्त आयोग (15th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकरी बैंक, ददाहू	56510114625	**4163010.47**	2772505.47	1390505
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	भारतीय स्टेट बैंक, संगडाह	38386960276	**756024.5**	746652.5	9372
13वां वित्त आयोग (13th FC)	यूको बैंक, संगडाह	763010004889	**9487765**	16624.75	9471140.25
	कुल योग		**22338852.97**	**11621527.72**	**10717325.25**

Chief Executive Officer cum
Block Dev. Officer
Panchayat Samiti Sangrah,
Distt. Sirmour (H.P.)

पैरा संख्या – 8

श्री जगदीश चंद, पंचायत सचिव (जिला परिषद्) का निदेशक पंचायती राज की अधिसूचना संख्या पी०सी०एच-एच०बी-(15)01/2022-पे रिविज़न-60236-62336 दिनांक 23-09-2022 अनुसार वेतन निर्धारण जो बनता है — परिशिष्ट-3

विवरण					अंकेक्षण टिप्पणी
1	नाम एवं पदनाम	श्री जगदीश चंद, पंचायत सचिव (जिला परिषद)			
2	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (नियमित)	07-12-2020			
3	वेतन संशोधन 2009 के अनुसार वेतन बैंड	5910-20200+1900			
4	2012 में पुनः संशोधन के बाद वेतन बैंड	10300-34800+3200			
5	संशोधित वेतन नियमों के अनुसार स्तर	लेवल-3 (20200-64000)			
6	विकल्प के अनुसार गुणन कारक	15%			
7		वेतन (₹)	ग्रेड पे (₹)	कुल बेसिक (₹)	
8	पंचायत सचिव के पद पर 31/12/2020 तक वेतन	5910	1900	7810	
9	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरांत दिनांक 01/12/2021 को वेतन	6150	1900	8050	
10	दिनांक 23/09/2022 को संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ₹1900 ग्रेड पे के अनुसार निर्धारित वेतन (लेवल-3 (सेल-1)- ₹20200)			20200	कर्मचारी द्वारा 15% का विकल्प अनुसार गणना: 8050+113% (नोशनल महंगाई भत्ता) + 15% (8050+113% (नोशनल महंगाई भत्ता)) = 8050+9097+2572= 19719 (संशोधित वेतन- ₹20200)
11	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरांत दिनांक 01/12/2022 को वेतन (सेल-2)			20800	
12	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरांत दिनांक 01/12/2023 को वेतन (सेल-3)			21400	
13	दिनांक 01/03/2024 को वेतन			21400	
14	वेतन वृद्धि की अगली तिथि	01-12-2024			

श्री जगदीश चंद, पंचायत सचिव (जिला परिषद्) को अधिक वेतन भुगतान का विवरण

अवधि	आहरित वेतन				देय वेतन				कुल अधिक भुगतान (₹)
	मूल वेतन (₹)	महंगाई भत्ते की दर	महंगाई भत्ते का भुगतान (₹)	कुल आहरित वेतन (₹)	मूल वेतन (₹)	महंगाई भत्ते की दर	महंगाई भत्ते का भुगतान (₹)	कुल देय वेतन (₹)	
अप्रैल 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
मई 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
जून 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
जुलाई 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
अगस्त 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
सितम्बर 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
				कुल					**106812**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- P.S Sangrah
फोन-9736161012

14

Office of the Chief Executive Officer (Panchayat Samiti), Cum-Block Development Officer, Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

OFFICE ORDER

Consequent upon the revision of pay scale of Zila Parishad Employees vide Principal Secretary (Panchayati Raj) Notification No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-60236-62336 Dated 23.09.2022 & Director-cum-Special Secretary(PR) Letter No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-1622-33 Dated 07.03.2024 the pay of the following official is fixed in revised pay as under :-

1	Name & Designation	Jagdish Chand, P. Sect (ZP)			Remarks
2	Date of Joining (Regular)	07-12-2020			
3	Pay Band as per Pay Revision 2009	5910-20200+1900			
4	Pay Band after Re-Revision 2012	10300-34800+3200			
5	Level as per Revised Pay Rules	Level-3 (20200-64000)			
6	Multiplication factor as per option exercised	15%			
7		Pay	Grade Pay	Total Basic	
8	Pay as on 31.12.2020 on the Post of Panchayat Secretary	5910	1900	7810	
9	Pay as on 01.12.2021 after granting A.I.	6150	1900	8050	
10	Pay as on 07.12.2022 is fixed in higher pay band of Rs.10300-34800+3200 GP after completing 2 years of service on 06.12.2022	10300	3200	13500	
11	13500+15255 (DA 113%)+ 4313.25 (15% of Basic + DA) = 33068.25 rounded off to Rs. 33300				
12	Revised pay as on 23.10.2022 is fixed at level corresponding to Rs. 1900 Grade Pay in the Pay Matrix i.e. Level-3 (Cell-18) (either equal to or next higher to Rs. 33300 in Level-3) as on 23.09.2022: Rs. 33300			33300	
13	Pay as on 01.12.2023 after granting A.I. Level-3 (Cell-19)			34300	
14	Pay as on 07.03.2024			34300	
15	D.N.I.	01.12.2024			

The above pay fixation is subject to verification by audit. Any over payment detected later on shall be recovered from the pay of official in lump-sum.

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

Endst No.DBS/Estt./PF/ Dated: March, 2024

Copy to:-

1. The Director, Panchayati Raj Department, H.P. Shimla-9.
2. The Accountant General (Audit) HP Shimla-3.
3. The Chief Executive Officer (ZP-cum-ADC, Sirmour at Nahan.
4. The Secretary (ZP –cum-DPO, Sirmour at Nahan.
5. Superintendent Gr.-II, Accountant Panchayat Samiti & Bill Clerk for necessary action.

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-4

श्री बलबीर सिंह, पंचायत सचिव (जिला परिषद्) का निदेशक पंचायती राज की अधिसूचना संख्या पी०सी०एच-एच०बी-(15)01/2022-पे रिविज़न-60236-62336 दिनांक 23-09-2022 अनुसार वेतन निर्धारण जो बनता है

	विवरण				अंकेक्षण टिप्पणी
1	नाम एवं पदनाम	श्री बलबीर सिंह पंचायत सचिव (जिला परिषद्)			
2	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (नियमित)	07-12-2020			
3	वेतन संशोधन 2009 के अनुसार वेतन बैंड	5910-20200+1900			
4	2012 में पुनः संशोधन के बाद वेतन बैंड	10300-34800+3200			
5	संशोधित वेतन नियमों के अनुसार स्तर	लेवल-3 (20200-64000)			
6	विकल्प के अनुसार गुणन कारक	15%			
7		वेतन (₹)	ग्रेड पे (₹)	कुल बेसिक (₹)	
8	पंचायत सचिव के पद पर 31/12/2020 तक वेतन	5910	1900	7810	
9	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरांत दिनांक 01/12/2021 को वेतन	6150	1900	8050	
10	दिनांक 23/09/2022 को संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ₹1900 ग्रेड पे के अनुसार निर्धारित वेतन (लेवल-3 (सेल-1)- ₹20200)			20200	कर्मचारी द्वारा 15% का विकल्प अनुसार गणना: 8050+113% (नोशनल महंगाई भत्ता) + 15% (8050+113% (नोशनल महंगाई भत्ता)) = 8050+9097+2572= 19719 (संशोधित वेतन- ₹20200)
11	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरांत दिनांक 01/12/2022 को वेतन (सेल-2)			20800	
12	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरांत दिनांक 01/12/2023 को वेतन (सेल-3)			21400	
13	दिनांक 01/03/2024 को वेतन			21400	
14	वेतन वृद्धि की अगली तिथि	01-12-2024			

श्री बलबीर सिंह, पंचायत सचिव (जिला परिषद्) को अधिक वेतन भुगतान का विवरण

अवधि	आहरित वेतन				देय वेतन				कुल अधिक भुगतान (₹)
	मूल वेतन (₹)	महंगाई भत्ते की दर	महंगाई भत्ते का भुगतान (₹)	कुल आहरित वेतन (₹)	मूल वेतन (₹)	महंगाई भत्ते की दर	महंगाई भत्ते का भुगतान (₹)	कुल देय वेतन (₹)	
अप्रैल 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
मई 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
जून 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
जुलाई 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
अगस्त 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
सितम्बर 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
					कुल				**106812**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- P.S Sangrah
फोन-9736161012

Office of the Chief Executive Officer (Panchayat Samiti), Cum-Block Development Officer, Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

OFFICE ORDER

Consequent upon the revision of pay scale of Zila Parishad Employees vide Principal Secretary (Panchayati Raj) Notification No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-60236-62336 Dated 23.09.2022 & Director-cum-Special Secretary(PR) Letter No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-1622-33 Dated 07.03.2024 the pay of the following official is fixed in revised pay as under :-

1.	Name & Designation	Balbeer Singh, P. Sect (ZP)			Remarks
2.	Date of Joining (Regular)	07-12-2020			
3.	Pay Band as per Pay Revision 2009	5910-20200+1900			
4.	Pay Band after Re-Revision 2012	10300-34800+3200			
5.	Level as per Revised Pay Rules	Level-3 (20200-64000)			
6.	Multiplication factor as per option exercised	15%			
7.		Pay	Grade Pay	Total Basic	
8.	Pay as on 31.12.2020 on the Post of Panchayat Secretary	5910	1900	7810	
9.	Pay as on 01.12.2021 after granting A.I.	6150	1900	8050	
10.	Pay as on 07.12.2022 is fixed in higher pay band of Rs.10300-34800+3200 GP after completing 2 years of service on 06.12.2022	10300	3200	13500	
11.	13500+15255 (DA 113%)+ 4313.25 (15% of Basic + DA) = 33068.25 rounded off to Rs. 33300				
12.	Revised pay as on 23.10.2022 is fixed at level corresponding to Rs. 1900 Grade Pay in the Pay Matrix i.e. Level-3 (Cell-18) (either equal to or next higher to Rs. 33300 in Level-3) as on 23.09.2022: Rs. 33300			33300	
13.	Pay as on 01.12.2023 after granting A.I. Level-3 (Cell-19)			34300	
14.	Pay as on 07.03.2024			34300	
15.	D.N.I.	01.12.2024			

The above pay fixation is subject to verification by audit. Any over payment detected later on shall be overed from the pay of official in lump-sum.

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

st No.DBS/Estt./PF/ Dated: March, 2024

y to:-

1. The Director, Panchayati Raj Department, H.P. Shimla-9.
2. The Accountant General (Audit) HP Shimla-3.
3. The Chief Executive Officer (ZP-cum-ADC, Sirmour at Nahan.
4. The Secretary (ZP –cum-DPO, Sirmour at Nahan.
5. Superintendent Gr.-II, Accountant Panchayat Samiti & Bill Clerk for necessary action.

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-5

श्री दिनेश कुमार, पंचायत सचिव (जिला परिषद्) का निदेशक पंचायती राज की अधिसूचना संख्या पी०सी०एच-एच०बी-(15)01/2022-पे रिविज़न-60236-62336 दिनांक 23-09-2022 अनुसार वेतन निर्धारण जो बनता है

	विवरण				अंकेक्षण टिप्पणी
1	नाम एवं पदनाम	श्री दिनेश कुमार, पंचायत सचिव (जिला परिषद्)			
2	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (नियमित)	11-08-2021			
3	वेतन संशोधन 2009 के अनुसार वेतन बैंड	5910-20200+1900			
4	2012 में पुनः संशोधन के बाद वेतन बैंड	10300-34800+3200			
5	संशोधित वेतन नियमों के अनुसार स्तर	लेवल-3 (20200-64000)			
6	विकल्प के अनुसार गुणन कारक	15%			
7		वेतन (₹)	ग्रेड पे (₹)	कुल बेसिक (₹)	
8	पंचायत सचिव के पद पर 31/07/2021 को वेतन	5910	1900	7810	
9	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरांत दिनांक 01/08/2022 को वेतन	6150	1900	8050	
10	दिनांक 23/09/2022 को संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ₹1900 ग्रेड पे के अनुसार निर्धारित वेतन (लेवल-3 (सेल-1)- ₹20200)			20200	कर्मचारी द्वारा 15% का विकल्प अनुसार गणना: 8050+113% (नोशनल महंगाई भत्ता) + 15% (8050+113% (नोशनल महंगाई भत्ता)) = 8050+9097+2572= 19719 **(संशोधित वेतन- ₹20200)**
11	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरांत दिनांक 01/08/2023 को वेतन (सेल-2)			20800	
12	दिनांक 01/03/2024 को वेतन			20800	
13	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरांत दिनांक 01/08/2024 को वेतन (सेल-3)			21400	
14	वेतन वृद्धि की अगली तिथि	01-08-2025			

श्री दिनेश कुमार, पंचायत सचिव (जिला परिषद्) को अधिक वेतन भुगतान का विवरण

अवधि	आहरित वेतन				देय वेतन				कुल अधिक भुगतान (₹)
	मूल वेतन (₹)	महंगाई भत्ते की दर	महंगाई भत्ते का भुगतान (₹)	कुल आहरित वेतन (₹)	मूल वेतन (₹)	महंगाई भत्ते की दर	महंगाई भत्ते का भुगतान (₹)	कुल देय वेतन (₹)	
अप्रैल 2024	33300	38%	12654	45954	20800	38%	7904	28704	**17250**
मई 2024	33300	38%	12654	45954	20800	38%	7904	28704	**17250**
जून 2024	33300	38%	12654	45954	20800	38%	7904	28704	**17250**
जुलाई 2024	33300	38%	12654	45954	20800	38%	7904	28704	**17250**
अगस्त 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
सितम्बर 2024	34300	38%	13034	47334	21400	38%	8132	29532	**17802**
	कुल								**104604**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- P.S Sangrah
फोन-9736161012

18

Office of the Chief Executive Officer (Panchayat Samiti),
Cum-Block Development Officer, Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

OFFICE ORDER

Consequent upon the revision of pay scale of Zila Parishad Employees vide Principal Secretary (Panchayati Raj) Notification No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-60236-62336 Dated 23.09.2022 & Director-cum-Special Secretary(PR) Letter No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-1622-33 Dated 07.03.2024 the pay of the following official is fixed in revised pay as under :-

					Remarks
1	Name & Designation	Dinesh Kumar, P. Sect (ZP)			
2	Date of Joining (Regular)	11-08-2021			
3	Pay Band as per Pay Revision 2009	5910-20200+1900			
4	Pay Band after Re-Revision 2012	10300-34800+3200			
5	Level as per Revised Pay Rules	Level-3 (20200-64000)			
6	Multiplication factor as per option exercised	15%			
7		Pay	Grade Pay	Total Basic	
8	Pay as on 31.12.2021 on the Post of Panchayat Secretary	5910	1900	7810	
9	Pay as on 01.08.2022 after granting A.I.	6150	1900	8050	
10	Pay as on 11.08.2023 is fixed in higher pay band of Rs.10300-34800+3200 GP after completing 2 years of service on 10.08.2023	10300	3200	13500	
11	13500+15255 (DA 113%)+ 4313.25 (15% of Basic + DA) = 33068.25 rounded off to Rs. 33300				
12	Revised pay as on 23.10.2022 is fixed at level corresponding to Rs. 1900 Grade Pay in the Pay Matrix i.e. Level-3 (Cell-18) (either equal to or next higher to Rs. 33300 in Level-3) as on 23.09.2022: Rs. 33300			33300	
13	Pay as on 07.03.2024			33300	
14	D.N.I.	01.08.2024			

The above pay fixation is subject to verification by audit. Any over payment detected later on shall be recovered from the pay of official in lump-sum.

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

Dated: March, 2024

Endst No.DBS/Estt./PF/
Copy to:-
1 The Director, Panchayati Raj Department, H.P. Shimla-9.
2 The Accountant General (Audit) HP Shimla-3.
3 The Chief Executive Officer (ZP-cum-ADC, Sirmour at Nahan.
4 The Secretary (ZP –cum-DPO, Sirmour at Nahan.
5 Superintendent Gr.-II, Accountant Panchayat Samiti & Bill Clerk for necessary action.

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

19

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-6

श्री ब्रिज मोहन, पंचायत सचिव (जिला परिषद्) का निदेशक पंचायती राज की अधिसूचना संख्या पी०सी०एच-एच०बी-(15)01/2022-पे रिविज़न-60236-62336 दिनांक 23-09-2022 अनुसार वेतन निर्धारण जो बनता है

	विवरण				अंकेक्षण टिपण्णी
1	नाम एवं पदनाम	श्री ब्रिज मोहन,पंचायत सचिव (जिला परिषद्)			
2	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (नियमित)	10-12-2021			
3	वेतन संशोधन 2009 के अनुसार वेतन बैंड	5910-20200+1900			
4	2012 में पुनः संशोधन के बाद वेतन बैंड	10300-34800+3200			
5	संशोधित वेतन नियमों के अनुसार स्तर	लेवल-3 (20200-64000)			
6	विकल्प के अनुसार गुणन कारक	15%			
7		वेतन (₹)	ग्रेड पे (₹)	कुल बेसिक (₹)	
8	पंचायत सचिव के पद पर 22/09/2022 तक वेतन	5910	1900	7810	
9	दिनांक 23/09/2022 को संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ₹1900 ग्रेड पे के अनुसार निर्धारित वेतन (लेवल-3 (सेल-1)- ₹20200)			20200	कर्मचारी द्वारा 15% का विकल्प अनुसार गणना: 7810+113% (नोशनल महंगाई भत्ता) + 15% (7810+113% (नोशनल महंगाई भत्ता)) = 7810+8825+2495= 19130 (संशोधित वेतन- ₹20200)
10	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरांत दिनांक 01/12/2022 को वेतन (सेल-2)			20800	
11	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने उपरांत दिनांक 01/12/2023 को वेतन (सेल-3)			21400	
12	दिनांक 01/03/2024 को वेतन			21400	
13	वेतन वृद्धि की अगली तिथि	01-12-2024			

श्री ब्रिज मोहन, पंचायत सचिव (जिला परिषद्) को अधिक वेतन भुगतान का विवरण

अवधि	आहरित वेतन				देय वेतन				कुल अधिक भुगतान (₹)
	मूल वेतन (₹)	महंगाई भत्ते की दर	महंगाई भत्ते का भुगतान (₹)	कुल आहरित वेतन (₹)	मूल वेतन (₹)	महंगाई भत्ते की दर	महंगाई भत्ते का भुगतान (₹)	कुल देय वेतन (₹)	
अप्रैल 2024	33300	38%	12654	45954	21400	38%	8132	29532	**16422**
मई 2024	33300	38%	12654	45954	21400	38%	8132	29532	**16422**
जून 2024	33300	38%	12654	45954	21400	38%	8132	29532	**16422**
जुलाई 2024	33300	38%	12654	45954	21400	38%	8132	29532	**16422**
अगस्त 2024	33300	38%	12654	45954	21400	38%	8132	29532	**16422**
सितम्बर 2024	33300	38%	12654	45954	21400	38%	8132	29532	**16422**
				कुल					**98532**

Tarun Saini

(तरूण सैनी)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
राज्य लेखा परीक्षा विभाग
अंकेक्षण वृत सिरमौर
कैम्प- P.S Sangrah
फोन-9736161012

20

Office of the Chief Executive Officer (Panchayat Samiti),
Cum-Block Development Officer, Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

OFFICE ORDER

Consequent upon the revision of pay scale of Zila Parishad Employees vide Principal Secretary (Panchayati Raj) Notification No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-60236-62336 Dated 23.09.2022 & Director-cum-Special Secretary(PR) Letter No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-1622-33 Dated 07.03.2024 the pay of the following official is fixed in revised pay as under :-

1	Name & Designation	Brij Mohan, P. Sect (ZP)			Remarks
2	Date of Joining (Regular)	10-12-2021			
3	Pay Band as per Pay Revision 2009	5910-20200+1900			
4	Pay Band after Re-Revision 2012	10300-34800+3200			
5	Level as per Revised Pay Rules	Level-3 (20200-64000)			
6	Multiplication factor as per option exercised	15%			
7		**Pay**	**Grade Pay**	**Total Basic**	
8	Pay as on 31.12.2021 on the Post of Panchayat Secretary	5910	1900	7810	
9	Pay as on 01.12.2022 after granting A.I.	6150	1900	8050	
10	Pay as on 10.12.2023 is fixed in higher pay band of Rs.10300-34800+3200 GP after completing 2 years of service on 09.12.2023	10300	3200	13500	
11	13500+15255 (DA 113%)+ 4313.25 (15% of Basic + DA) = 33068.25 rounded off to Rs. 33300				
12	Revised pay as on 23.10.2022 is fixed at level corresponding to Rs. 1900 Grade Pay in the Pay Matrix i.e. Level-3 (Cell-18) (either equal to or next higher to Rs. 33300 in Level-3) as on 23.09.2022: Rs. 33300			33300	
13	Pay as on 07.03.2024			33300	
14	D.N.I.	01.12.2024			

The above pay fixation is subject to verification by audit. Any over payment detected later on shall be recovered from the pay of official in lump-sum.

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

Endst No.DBS/Estt./PF/ Dated: March, 2024
Copy to:-

1. The Director, Panchayati Raj Department, H.P. Shimla-9.
2. The Accountant General (Audit) HP Shimla-3.
3. The Chief Executive Officer (ZP-cum-ADC, Sirmour at Nahan.
4. The Secretary (ZP –cum-DPO, Sirmour at Nahan.
5. Superintendent Gr.-II, Accountant Panchayat Samiti & Bill Clerk for necessary action.

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Sangrah, Distt Sirmour, H.P.

21